# न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 126 BNSS

प्रथम पक्ष – सोनिया देवी ...... बगैरह ।

बनाम

वाद सं0 04/2025–26

द्वितीय पक्ष – दीपक मिश्रा .... बगैरह।

| आदेश की क0 सं0 एवं तिथि | दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी |
|---|---|---|

थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 16/2025 दिनांक 30/04/2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) सोनिया देवी उम्र 30 वर्ष पति दिलीप मिश्रा, ग्राम मिश्रा टोली/बड़कीटोली, थाना पालकोट, जिला गुमला **बनाम द्वतीय पक्ष** (1) दीपक मिश्रा उम्र 43 वर्ष (2) अखिलेश्वर मिश्रा उम्र 47 वर्ष पिता राजकिशोर मिश्रा (3) आरती देवी उम्र 44 वर्ष पति अखिलेश्वर मिश्रा ग्राम मिश्राटोली/बडकीटोली, थाना पालकोट, जिला गुमला। उभय पक्षो के बीच आपसी घेरलु विवाद को लेकर वाद लाया गया हैं। फलस्वरूप उभय पक्षो के द्वारा अशांति फैलाने एवं विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना हैं।

थाना प्रभारी पालकोट के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मद्देनजर उभय पक्षों को धारा 126 BNSS प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्षों को न्यायालय में अपने स्वय अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए।

उक्त वाद की कार्रवाई की समय अवधि समाप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समय अवधि में उभय पक्षो के बीच किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एंव संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2025.12.24 11:54:37 +05:30
Location: 192.168.1.37